अध्याय 5
सेवा कर

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

112. वित्त अधिनियम, 1994 में,—

(अ) धारा 65 में, यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे,—

(1) खंड (19) में,—

(क) "किंतु इसके अंतर्गत ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं है" शब्दों से आरंभ होने वाले और "विनिर्माण की कोटि में आता है" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "किंतु इसके अंतर्गत ऐसा क्रियाकलाप नहीं है जो उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण की कोटि में आता है," शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(ख) "उत्पाद-शुल्क्य माल" का वही अर्थ है जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (घ) में है ; 1944 का 1

(ग) "विनिर्माण" का वही अर्थ है जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (च) में है ।'; 1944 का 1

(2) खंड (101) में, ",यथास्थिति, स्टॉक दलाल या उप-दलाल" शब्दों के स्थान पर, "स्टॉक दलाल" शब्द रखे जाएंगे ;

(3) खंड 105 में,—

(क) उपखंड (ययायत) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ययायत) किसी व्यक्ति को, किसी रीति में रेल द्वारा माल के परिवहन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;";

(ख) उपखंड (यययायड) की मद (v) और मद (vi) में, "अर्जित करना" शब्दों के स्थान पर, "प्रदान करना" शब्द रखे जाएंगे और 16 मई, 2008 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ग) उपखंड (यययायञ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(यययायट) किसी व्यक्ति को, प्रसाधन शल्य चिकित्सा या प्लास्टिक शल्य चिकित्सा के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किंतु इसके अंतर्गत जन्मजात दोषों, विकासशील असमानताओं, विकृत्त रोगों, क्षति, मानसिक आघात के कारण विकृति या प्रभावित शरीर के अंगों के पुनः सुधार या पुनः सन्निर्माण के लिए की गई कोई शल्य चिकित्सा नहीं है;

(यययायठ) किसी व्यक्ति को,—

(i) तटीय माल ;

(ii) राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा माल ; या

(iii) अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा माल,

के परिवहन के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "तटीय माल" का वही अर्थ है, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 के खंड (7) में है ; 1962 का 52

(ख) "राष्ट्रीय जलमार्ग" का वही अर्थ है, जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 2 के खंड (ज) में है ; 1985 का 82

(ग) "अंतर्देशीय जलमार्ग" का वही अर्थ है, जो अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा 2 के खंड (ख) में है ; 1917 का 1

(यययायड) किसी कारबार अस्तित्व को किसी रीति में, विधि की किसी शाखा में सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में किसी अन्य कारबार अस्तित्व द्वारा :

परन्तु किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष उपसंजात होने के रूप में प्रदान की गई कोई सेवा कराधेय सेवा की कोटि में नहीं आएगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "कारबार अस्तित्व" के अंतर्गत कोई व्यक्तियों का संगम, व्यष्टि-निकाय, कंपनी या फर्म भी हैं, किंतु इसमें कोई व्यष्टि सम्मिलित नहीं है ;'।

(आ) धारा 66 में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, "और (यययायञ)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "(यययायञ), (यययायट), (यययायठ) और (यययायड)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

(इ) धारा 84 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) को अपीलें।

"84. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, स्वप्रेरणा से ऐसी किसी कार्यवाही के अभिलेख को, जिसमें उसके अधीनस्थ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अध्याय के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है, ऐसे किसी विनिश्चय या आदेश की वैधता या समीचीनता के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा तथा ऐसे प्राधिकारी या अपने अधीनस्थ किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि वह उस विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होने वाले ऐसे प्रश्नों के अवधारण के लिए जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) को आवेदन करे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश के अनुसरण में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन आदेश की संसूचना की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) को आवेदन करता है वहां ऐसे आवेदन की सुनवाई केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा ऐसे की जाएगी मानो ऐसा आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और अपीलों से संबंधित इस अध्याय के उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 112 के खंड (ग) के प्रारंभ से ठीक पूर्व केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के अधीनस्थ किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश पर ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान उपबंधों के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा इस प्रकार कार्यवाही की जाती रहेगी मानो यह धारा प्रवृत्त ही नहीं हुई हो ।"।

(ई) धारा 86 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में, "या धारा 84" शब्दों और अंकों का क्रमशः लोप किया जाएगा ।

(उ) धारा 94 की उपधारा (2) में, खंड (जज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(जजज) सेवा कर की दर के अवधारण की तारीख और सेवा की व्यवस्था का स्थान ;"।

(ऊ) धारा 95 में, उपधारा (1ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1च) यदि वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 द्वारा इस अध्याय में सम्मिलित की गई किसी कराधेय सेवा के मूल्य को कार्यान्वित, वर्गीकृत या निर्धारित करने के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 2009 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययययड) के अधीन की गई कार्रवाई की विधिमान्यता।

(ए) 16 मई, 2008 से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययययड) की मद (v) और मद (vi) के अधीन की गई या किए जाने से लोप की गई या किए जाने या लोप किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या बात को सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार किया गया समझा जाएगा और सदैव किया गया समझा जाएगा मानो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 112 के खंड (अ) के उपखंड (3) की मद (ख) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) वाणिज्यिक उपयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करने और इलैक्ट्रानिक रूप से प्रदाय किए गए सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करने के लिए भी उक्त अवधि के दौरान सेवा कर के अधिरोपण के लिए की गई या किए जाने से लोप की गई किसी कार्रवाई या बात को इस प्रकार विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से किया गया और सदैव किया गया समझा जाएगा मानो उक्त संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ;

(ख) ऐसे सेवा कर के अधिरोपण के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या अन्य कार्रवाइयां चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी और की गई या किए जाने से लोप की गई किसी कार्रवाई या वाद से संबंधित किसी डिक्री या आदेश का किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं किया जाएगा, मानो उक्त संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था;

(ग) सेवा कर, ब्याज या शास्ति या जुर्माने या ऐसे अन्य प्रभारों की सभी ऐसी रकमों की वसूली की जाएगी, जो, यथास्थिति, संगृहीत न की गई हो या जिसका प्रतिदाय कर दिया गया है, किंतु जो, यदि उक्त संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा होता तो, यथास्थिति, संगृहीत की गई होती या उसका प्रतिदाय नहीं किया गया होता ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया ऐसा कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवृत्त न हुई होती ।

माल परिवहन अभिकरण को विनिर्दिष्ट कराधेय सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति को दी गई छूट का भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्यकरण।

(ऐ) (1) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 10(अ), तारीख 5 जनवरी, 2009, जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी की गई थी, जिसके द्वारा माल परिवहन अभिकरण को विनिर्दिष्ट कराधेय सेवा प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति को धारा 66 के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान की गई थी, 1 जनवरी, 2005 से ही सभी तात्विक समयों पर सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से प्रवृत्त हुई और सदैव प्रवर्तन में रही मानी जाएगी ।

1994 का 32

(2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रही होती तो उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया गया होता ।

1994 का 32

(3) वित्त अधिनियम, 1994 में किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए आवेदन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से छह मास के भीतर किया जाएगा ।

1944 का 1

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ख के उपबंध, इस धारा के अधीन प्रतिदायों को लागू होंगे।

(ओ) धारा 96क में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(घ) "प्राधिकरण" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28च की उपधारा (1) के अधीन गठित या उपधारा (2क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है ।'। 1962 का 52